प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.08.2026

- **थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की 01 एलईडी टीवी, 01 सीपी प्लस का डीवीआर, 01 टीएफटी व 01 इन्वर्टर एवं घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो सहित 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी की घटना की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 17.08.2026 को वादी रामनरेश यादव प्रधानाचार्य राहुल शुक्ल मेंमोरियल इंटर कॉलेज ग्राम कीरतपुर (बिलसराया) थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चैंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर सरवनखेडा रनियां मार्ग ग्राम पामा से अभियुक्तगण 1.विमल कुमार पुत्र सरवन सिह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम चिराना थाना रनियां जनपद कानपुर देहात हाल पता (गरीबदास के मकान में किराये पर) मोहल्ला शेरपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात, 2. सन्तोष पासी उर्फ प्रधान पुत्र मान सिह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बसोंदी थाना राजपुर हाल पता ग्राम चिराना थाना रनियां जनपद कानपुर देहात, 3. मुनीष पुत्र छोटे लाल उम्र 35 वर्ष निवासी बसेही थाना शिवली जनपद कानपुर देहात हाल पता कुरियन पुरवा (पवन कमल के मकान में किराये पर) थाना रनियां जनपद कानपुर देहात, 4. गोलू शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी मानसिंह का पुरवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 19.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 एलईडी टीवी, 01 सीपी प्लस का डीवीआर, व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो एवं 01 इन्वर्टर तथा ₹ 3,200/- नगद (चोरी की बैट्री बेचने से प्राप्त) को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण-

1. विमल कुमार पुत्र सरवन सिह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम चिराना थाना रनियां जनपद कानपुर देहात हाल पता (गरीबदास के मकान में किराये पर) मोहल्ला शेरपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
2. सन्तोष पासी उर्फ प्रधान पुत्र मान सिह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बसोंदी थाना राजपुर हाल पता ग्राम चिराना थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
3. मुनीष पुत्र छोटे लाल उम्र 35 वर्ष निवासी बसेही थाना शिवली जनपद कानपुर देहात हाल पता कुरियन पुरवा (पवन कमल के मकान में किराये पर) थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
4. गोलू शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी मानसिंह का पुरवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्तगण-

पूछने पर सभी अभियुक्तों ने बताया कि हम चारों दोस्त हैं तथा अपने शौक पूरा करने के लिये, हम लोग ज्यादातर स्कूलों में या एकान्त में खाली पड़े मकानों में चोरी करते है। जो सामान हम लोगों से बरामद हुआ है वह हम लोगों ने ग्राम बिलसराया में बने स्कूल से दिनांक 25/26.07.2026 की रात्रि में चुराया था। जिसमें से हमने 02 बैट्री तोड़-फोड़ कर चलते- फिरते कबाड़ी को ₹ 20,000/- में बेच दी थीं और उन रूपयों को हम लोगों ने बराबर-बराबर बाँट लिये थे, जिसमें से कुछ रुपये खर्च हो गये और जो बचे थे वह हम लोगों की जेब से बरामद हुए हैं। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों से यहाँ आने का कारण पूछा तो सभी ने बताया कि ग्राम बिलसराया स्कूल से चुराये हुए सामान को बेचने जा रहे थे। तभी हमारे ऑटो की गैस खत्म हो गयी जिस कारण ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था इसलिए हम यहाँ रूके थे।

बरामदगी-

1. 01 एलईडी टीवी।
2. 01 सीपी प्लस का डीवीआर ।
3. 01 टीएफटी क्षतिग्रस्त।
4. 01 इन्वर्टर AMAZE (ल्यूमिनस) कंपनी का।
5. 01 घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो (धारा 207 एम.वी. एक्ट)।
6. ₹ 3,200/- नगद (चोरी की बैट्री बेचने से प्राप्त)।

गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमेंश प्रताप सिंह
2. का0 843 जयकुमार
3. का0 281 सुनील कुमार
4. का0 950 रामसिंह
5. का0 357 राजेश कुमार
6. का0 1319 अनूप कुमार
7. चालक का0 518 अरूण कुमार